

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

बनाम

ख्या

अन्तर्गत धारा.....

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक
जो इस आदेश की
पालना में जारी हुए

20/4/22

अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) RTA खारिज हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली निगूँति होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफ़्तर हो




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर